



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23082024-256611
CG-DL-E-23082024-256611

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 478]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 23, 2024/भाद्र 1, 1946

No. 478]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 23, 2024/BHADRA 1, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2024

सं. 55/2024—सीमाशुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. 517(अ).—सीमाशुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 2017 के नियम 3 और 4 के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 75 और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, 20 अक्टूबर, 2023 की सा.का.नि. 792(अ) के तहत प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) संख्या 77/2023—सीमा शुल्क (गै.टे.) दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 की अधिसूचना में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः:-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अध्याय - 71 में, -

- टैरिफ मद 711301 के सामने, कॉलम (4) की प्रविष्टि में, आंकड़ों के लिए "704.1" के लिए "335.50" को अंतःस्थापित किया जाएगा;
- टैरिफ मद 711302 के सामने, कॉलम (4) की प्रविष्टि में, आंकड़ों के लिए "8949" के लिए "4468.10" को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(iii) टैरिफ मद 711401 के सामने, कॉलम (4) की प्रविष्टि में, आंकड़ों के लिए “8949” के लिए “4468.10” को अंतःस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 605/13/2023-(डीबीके)]

कपिल प्रजापति, अवर सचिव

टिप्पणी:- मूल अधिसूचना संख्या 77/2023-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 जिसे भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 के सा.का.नि. 792 (अ), के माध्यम से प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 33/2024-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 30 अप्रैल, 2024 जिसे सा.का.नि. 268(अ) दिनांक 30 अप्रैल, 2024 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department Of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2024

No. 55/2024 – Customs (N.T.)

G.S.R. 517(E).—In exercise of the powers conferred by section 75 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (2) of section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), read with rules 3 and 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 2017, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 77/2023 – Customs (N.T.), dated the 20th October, 2023, published *vide* number G.S.R. 792 (E), dated the 20th October, 2023, namely:-

In the said notification, in the Schedule, in Chapter -71,-

- (i) against tariff item 711301, in the entry in column (4), for the figures “704.1”, the figures “335.50” shall be substituted;
- (ii) against tariff item 711302, in the entry in column (4), for the figures “8949”, the figures “4468.10” shall be substituted;
- (iii) against tariff item 711401, in the entry in column (4), for the figures “8949”, the figures “4468.10” shall be substituted.

[F. No. 605/13/2023-(DBK)]

KAPIL PRAJAPATI, Under Secy.

Note : The principal Notification No. 77/2023-Customs (N.T.), dated the 20th October, 2023 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 20th October, 2023 *vide* number G.S.R. 792(E), dated the 20th October, 2023 and was last amended by Notification No. 33/2024- Customs (N.T.), dated the 30th April, 2024 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 30th April, 2024 *vide* number G.S.R. 268(E), dated the 30th April, 2024.